28/6/18

आज यह पत्रावली [illegible] में पेश हुई। असल प्रतिवादिया की ओर से इकबाल नामा दावा पेश हुआ। वादी व प्रतिवादिया उभय [illegible] रिकॉर्ड किया गया है। [illegible] से [illegible] पत्रावली [illegible] फैसला अनुसार [illegible] से [illegible] तथा बाद तकमील [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

नि. अं. मिश्रादेवी

A/S
अनामिका [illegible]
ओमप्रकाश

E/C
28/6/018

प्रपत्र -5

राजस्थान सरकार

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

(न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,कोटकासिम)

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)कैम्प कोटकासिम

पीठासीन अधिकारी श्री विश्वामित्र मीणा R.A.S

अन्नपाल उनवान बनाम राज. सरकार

दावा बाबत:- 88, 89 राज. काश्त. अधि.

मुकदमा नम्बर:- 151/18

निर्णय दिनांक:- 28.6.2018

वादी की ओर से अधिवक्ता की व प्रतिवादी की ओर से — की उपस्थिति में आज तारीख .... को ....(नाम पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,आदेश किया जाता है ओर डिग्री दी जाती कि - विवादित आराजी खसरा नं. 564/0-02, 634/3-03, 565/2-13 बीघा स्थित ग्राम कायमपुर ग्रा. खावास तहसील कोटकासिम में वादी का खातेदार डिक्री किया जाता है। विवादित आराजीयात में से प्रकाश पुत्र मामराज का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया कर वादी अन्नपाल पुत्र ओमप्रकाश का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में नामान्तरकरण हो।

खर्चा पक्षकारन अपना-अपना वहन करेगें ।

यह आज तारीख 28.6.18 को मो हस्ताक्षर से ओर न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(हस्ताक्षर) 28/6/18

(विश्वामित्र मीणा R.A.S)

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर ,कोटकासिम

वाद के खर्चे

Scanned by CamScanner